न्यायालय – उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
मु० 239/2019 लोकेन्द्र सिंह बनाम मोतीलाल व अन्य

20/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उप० पक्ष उप०
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/जवाब
दिनांक 24/2/23 को पेश हो।

24/02/23 [illegible] पेश हुई अधिवक्ता संघ द्वारा [illegible] कार्य बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार [illegible] को पेश हुई।
20/04/23

20/4/23 पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारियों की हड़ताल होने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/7/23 को पेश हो।

20/7/23 पत्रावली पेश हुई। वकील उप० पक्ष उप०
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / जवाब
दिनांक 09/10/23 को पेश हो।

09/10/23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनु०। वकील वादी व वादी को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया। लेकिन उप० नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी व वादी के अनु० रहने पर पत्रावली को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली कैफियत तैयार होकर नत्थी की जावे तथा बाद पूर्ति होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़